

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक 2562/वाद सं० आर-1269/एस-12/2025

दिनांक: 28/11/2025

श्री जूल्फी अन्य आदि,
बाला जी एनक्लेव लेन न०-2,
शिमला बाईपास रोड़, देहरादून।

विपक्षी श्री जूल्फी अन्य आदि बाला जी एनक्लेव लेन न०-2, शिमला बाईपास रोड़, देहरादून द्वारा "प्रश्नगत स्थल पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 40 फीट गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-1269/एस-12/2025 योजित किया गया है।

उपरोक्त वाद में दिनांक 08.10.2025 को धारा 27 (1) एवं धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ, निर्माण कार्य रोकने सूचना/नोटिस प्रेषित किया गया। जिसे विपक्षी के पते पर दिनांक 08.10.2025 को स्थल पर तामील/चप्पा कराया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि बाला जी एनक्लेव लेन न०-2 शिमला बाईपास रोड़, देहरादून द्वारा "प्रश्नगत स्थल पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल/भूतल पर लगभग 40 फीट गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण कार्य किया गया है। विपक्षी को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 09.10.2025 एवं 30.10.2025 तिथियां नियत की गयी थी, आप नियत तिथियों पर लगातार अनुपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ता की जांच आख्यानसार विपक्षी द्वारा स्थल/निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा सुसंगत धाराओं में चालानी कार्यवाही करने एवं स्थल पर कई बार निर्माण कार्य रोकवाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा लगातार चोरी-छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है। विपक्षी के द्वारा किये गये निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी कोई भी अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। विपक्षी को उक्त निर्माण के सम्बन्ध में कई बार सुनवाई का अवसर दिया गया है, लेकिन विपक्षी किसी भी सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। विपक्षी द्वारा किया जा रहा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। एवं निर्माण को सील करने की संस्तुति की गयी है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त सम्पूर्ण चालान शुदा अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

—आदेश:—

विपक्षी श्री जूल्फी अन्य आदि बाला जी एनक्लेव लेन न०-2, शिमला बाईपास रोड़, देहरादून द्वारा "प्रश्नगत स्थल पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल/भूतल पर लगभग 40 फीट गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के अन्तर्गत चालान शुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02/12/25 को सील किया जाना है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी को ये भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे, और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है जो कानूनन दण्डनीय अपराध है।

पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

२८/११/२५